

क्या महिला आरक्षण राजनीति से चुनावों में लाभ होगा भाजपा को

चुनावी विश्लेषकों की मानें तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है

श्रीनन्द झा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि महिला आरक्षण विधेयक की राजनीति आगामी विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद आगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के पक्ष में अपना असर दिखायेगी। हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में आ रही कमी को लेकर वन रही धारणा से चिंतित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न प्रकार से जनमत परख की कोशिश कर रहा है- उदाहरण के लिये, भारत बनाम इंडिया बहस छेड़ना तथा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा उठाना आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 के चुनावों से सात माह पूर्व, महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने का निर्णय लोकसभा चुनावों से पहले एक और अनुचित लाभ लेने की कोशिश है।

- सुत्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्र.मंत्री मोदी की लोकप्रियता के गिरते ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा नित नए शगुफे छोड़ रही है, जैसे भारत बनाम इंडिया आदि।
- एक सवाल यह भी है कि, क्या मोदी सरकार पूरी तैयारी के बिना ही वाहवाही लूटने के लिए बिल ले आई है।
- क्योंकि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, तब ही दिया जा सकता है जब पहले जनगणना हो, जो 2026 में होनी है और फिर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो।
- हालांकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत व राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन के आधार पर सरकार यह बिल पारित करवा लेगी पर इसका क्रियान्वयन चार साल बाद ही हो सकेगा।

कई प्रश्न भी पैदा हो रहे हैं। यह विधेयक मोदी सरकार के अंतिम वर्ष में ही क्यों पेश किया गया है? कोटा के अंदर कोटा के सिद्धांत के ढाँचे के अन्तर्गत, ओ.बी.सी. को शामिल किये जाने की माँग से सत्तारूढ़ दल कैसे निपटेगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि, क्या मोदी सरकार पर समय से काफी पहले

रिबन काटे जाने का आरोप नहीं लगेगा? लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का यथार्थतः पारित होना जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने (2026 में) के बाद में संभव हो सकेगा। जनगणना के बाद ही चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सम्पन्न होगा। लोकसभा में भाजपा का जबरदस्त

बहुमत होने तथा राज्यसभा में भी पर्याप्त संख्याबल होने से ऐसी संभावना है कि, सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सफल हो जायेगी। लेकिन यदि यह चार साल या इससे भी अधिक समय बाद ही लागू हो पाएगा, तो इस मुद्दे से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पायेगा। कांग्रेस, एक प्रकार से, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की स्वप्रशंसा को चुराने में सफल रही है। पंचायती राज विधेयक राजीव गांधी सरकार ने पारित किया था, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित करा लिया था। सी.डब्ल्यू.सी की विभिन्न मोटियों में, तथा अभी हैदराबाद में हुई सी. डब्ल्यू.सी की मीटिंग में, सोनिया गांधी पूरी दृढ़ता के साथ मांग करती रही हैं कि, महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया जाये। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही मांग की थी। इसलिए ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अकेली भाजपा को ही इसका पूरा-पूरा चुनावी लाभ मिलेगा।

पूर्व आईजी को मौत के 13 साल बाद मिला न्याय

जयपुर, 19 सितम्बर। आईजी जेल के पद से 32 साल पहले रिटायर हुए रामानुज शर्मा को मौत के करीब 13 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने उनको पेंशन काटने के 24 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही काटी गई राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं।

- स्व. रामानुज शर्मा 32 साल पहले, आई.जी. (जेल) के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के दिन उन्हें 17 साल पुराने मामले में चार्जशीट देकर पेंशन परिलाभ रोक दिए गए थे। हाईकोर्ट में 24 साल चले इस केस में अंततः स्व. शर्मा के सभी पेंशन परिलाभ मध्य ब्याज लौटाने के आदेश दिए गए हैं।

जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश रामानुज शर्मा के उत्तराधिकारी राम मधुकर शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता को और से अदालत को बताया गया कि, रामानुज शर्मा तीस जून, 1991 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 17 साल पुराने एक मामले में 29 जून, 1991 को चार्जशीट दी गई। जिससे उनके पेंशन परिलाभ रुक गए। वहीं, जून 1999 को लंबित मामले में दो साल तक उनकी पेंशन में से पांच फीसदी राशि काटने की सजा दी गई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत के तीनों "लाडलों" का निलम्बन अभी भी जारी है

पर मु.मंत्री गहलोत का खेमा अफवाह फैला रहा है कि, शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ का निलम्बन रद्द हो गया है

रेणु मितल-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। राजस्थान कांग्रेस के तीन निलंबित नेताओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सूत्रों ने कहा कि स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। कोई बदलाव नहीं हुआ है।

- इस मामले को करीब से देखने वाले एक वरिष्ठ नेता ने तीनों नेताओं का निलंबन रद्द होने की अफवाहों का खंडन किया।

- गहलोत यह अफवाह इसलिए फैला रहे हैं, क्योंकि, वे यह जताना चाहते हैं कि, वे सर्व शक्तिमान हैं और ऐसा कर सकते हैं।

गहलोत खेमा यह अफवाह फैला रहा है कि, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ का निलंबन रद्द हो गया है। हालांकि मामले को करीब से जानने वाले एक वरिष्ठ नेताओं इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि कोशिश कर रहे हैं वे बेहद शक्तिशाली हैं और ऐसा कर सकते हैं। अदालत इतनी जबरदस्त है कि गहलोत खेमे के लोगों ने कहा कि खड़गे के कार्यालय से निर्देश आए हैं। पर संबंधित व्यक्ति से पता चला कि यह करीब अफवाह है।

राज्य एवेन्चु कोर्ट से गहलोत को झटका

जयपुर, 19 सितम्बर। दिल्ली की राज्य एवेन्चु कोर्ट ने गहलोत को झटका देते हुए मानहानि परिवाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सीआरपीसी की धारा 256 के तहत पेश इस प्रार्थना पत्र में सीएम अशोक गहलोत ने परिवादी गजेंद्र सिंह के अदालत में पेश नहीं होने के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करने की

- दिल्ली की अदालत ने मानहानि मुकदमे में दोष मुक्त करने का गहलोत का प्रार्थना पत्र खारिज किया, मुकदमा अभी चलेगा।

गुहार की है। इस प्रार्थना पत्र पर गत 14 सितम्बर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी।

सीएम गहलोत की ओर से पेश इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि, सीआरपीसी की धारा 256 के तहत प्रावधान है कि, यदि मामले का परिवादी अदालत में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट को इस आधार पर परिवाद में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को दोषमुक्त कर देना चाहिए। प्रकरण में परिवादी गजेन्द्र सिंह सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में प्रार्थी को प्रकरण से दोषमुक्त किया जाए।

वहीं शेखावत की ओर से कहा गया कि, यदि लंबे समय तक परिवादी अदालत में पेश नहीं हो तो इस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बीटी दो पेशियों से परिवादी अदालत में हाजिर हो रहे हैं। इसलिए इस प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नए संसद भवन में सबसे पहले "नारी शक्ति वंदन" विधेयक पेश हुआ

'महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त समर्थन देंगे'

महिलाओं को संसद व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस विधेयक पर कांग्रेस ने कहा यह "हमारा बिल है"

डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। राज्यसभा में 27 साल पहले पेश एवं पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक को आज नये संसद भवन के प्रथम एजेंडा के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "ईश्वर ने मुझे पवित्र कार्यों के लिये चुना है।"

- कांग्रेस के प्रवक्ता ने नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया।
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि, यह विधेयक कांग्रेस व यू.पी.ए. सरकार के सहयोगी दलों की जीत है। ज्ञातव्य है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।
- कांग्रेस यह दावा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि, यह बिल "हमारा" है।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी लंबे समय से महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की मांग कर रही है और सरकार इस विधेयक को लेकर आती है, तो पार्टी

- राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा, "हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि, वे महिला सशक्तिकरण के पुरजोर समर्थक हैं। महिलाओं के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठने, अपनी बात कहने और महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने का समय आ गया है। कांग्रेस उन्हें बिना शर्त समर्थन की पेशकश करती है।"

इसका स्वागत कर बिना शर्त समर्थन करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा, "हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह महिला सशक्तिकरण के पुरजोर समर्थक हैं। उनके लिए दलगत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को नये भवन में ले गये, जहाँ उन्होंने कहा: "ईश्वर ने मुझे पवित्र कार्यों के लिये चुना है। आज हम इतिहास लिखेंगे।--- आइये! नारी-शक्ति के लिये दरवाजे खोलें!" प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिये "नारी शक्ति वन्दन विधेयक" पेश किये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की। प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

को श्रेय देने के मामले से सदैव कतराते हैं, ने शेखी बघारते हुये, इस कदम को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का मील का पत्थर बताया, जबकि तथ्य यह है कि, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से ही कांग्रेस विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में काम करती आ रही है। विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा विधेयक पेश किये जाने के बाद, इसकी हाई-कोपी उपलब्ध न कराये जाने के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैनडा के प्र.मंत्री हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तीन माह बाद भारत पर आरोप क्यों लगा रहे हैं?

क्या जी-20 सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी द्वारा खालिस्तान के मुद्दे पर टूटो को खरी-खोटी सुनाना इसकी वजह है

डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। कैनडा के साथ भारत के पहले से खराब चल रहे संबंधों में और गिरावट आई, जब विदेश मंत्रालय ने आज कैनडा के उच्चायुक्त को तलब किया और कैनडा द्वारा एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद जवाबी कार्रवाई में कैनडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहा। इससे पहले कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने आरोप लगाया था कि, इस वर्ष जून में सरी में मारे गए खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है।

- ज्ञातव्य है कि, कैनडा के प्रधानमंत्री टूडो खालिस्तान समर्थकों की पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं और खालिस्तान आतंकवादियों के प्रति आरंभ से ही उनका नर्म रूख रहा है।
- भारत ने कैनडा सरकार द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देने पर कई मंचों पर अपनी नाराजगी जताई है।
- लेकिन टूडो ने कैनडा की संसद में सार्वजनिक रूप से भारत पर आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर दोनों देशों के संबंधों में कटुता और बढ़ा दी है।

कैनडा के राजनयिक की पहचान ओलीवियर सिल्वेस्टर के रूप में हुई है, जो कैनडा इंटरलिजेंस के स्टेशन प्रमुख बताया जाते हैं। उन्हें पांच दिन में भारत छोड़ने को कहा गया है। टूडो ने ये आरोप संसद को

संबोधित करते हुए लगाए, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका जोरदार खंडन किया और खुलासा किया कि कैनडा के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही आरोप 10 सितम्बर को जी-20 सम्मेलन के दौरान मोदी के साथ अलग से हुई संक्षिप्त मुलाकात में भी लगाए थे। इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करते समय टूडो और उनकी विदेश मंत्री मैलनी जोली द्वारा की गई टिप्पणी को "बेतुका और प्रेतित" बताया है। सूत्रों ने कहा कि, दरअसल कैनडा में भारतीय राजनयिकों को मौत की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



शुगर एवं बी. पी. के रोग से आप भी पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं

एलोपैथी से भी एडवांस रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स पतंजलि ने बी. पी. और शुगर के लिए तैयार की हैं।

आज भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ये मानता है कि बी. पी. और शुगर को क्योर नहीं किया जा सकता है, जबकि हमने योग, आयुर्वेद, पंचकर्म एवं नैचुरोपैथी से बी. पी. को निर्मूल किया है एवं डायबिटीज़ टाईप I, टाईप II के पेशेन्ट्स को नॉन-ड्रगबेटिक किया है।



Useful in high blood pressure



60 tablets



Useful in diabetes mellitus



60 Tablets

पब्लिशड रिसर्च पेपर के लिए विज़िट करें : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545334/>

हमारी सभी औषधियाँ पतंजलि स्टोर्स, प्रमुख मेडिकल, आयुर्वेदिक और बड़े स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

ऊपर वर्णित दवा का उपयोग सुझाव मात्र है। उपर्युक्त रोगों के प्रबंधन हेतु उपचार में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। स्वयंसेवक से दवाएं न लें। दवाओं का प्रयोग हमेशा चिकित्सकीय निरीक्षण में करें।